

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत 1.) सबिता देवी पति-
श्री बिजय कुमार साव एवं 2.) निरंजन कुमार; दोनों के पिता- श्री रामेश्वर साव ; ग्राम: चमातु ,
थाना: बालुमाथ जिला :लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत
ग्राम:- चमातु, थाना सं° 56 (रैयती भूमि) खाता सं° -175, के अधीन प्लॉट सं° - 735; खाता सं°
-162, के अधीन प्लॉट सं° - 2150, 2164; खाता सं° -139, के अधीन प्लॉट सं° - 524, 1532; खाता सं° -
10, के अधीन प्लॉट सं° - 1969; खाता सं° -96, के अधीन प्लॉट सं° - 2141; ग्राम:- फुलबसिया खाता
सं° -243, के अधीन प्लॉट सं° -1309 ; कुल रकबा: - 4.00 एकड़ (रैयती भूमि) के अधिग्रहण के
एवज मे रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस सूचना के
प्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_1nd.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य
के साथ अपनी आपति लिखित रूप मे महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) एवं क्षेत्रिय महाप्रबंधक (मगध-
संघमित्र क्षेत्र), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर दस दिनों के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया
जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपति नहीं है।


2.09.23